

सं. 57 /04 / 2019-पी & पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

\*\*\*\*\*

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली,

दिनांक: 04.01.2022

कार्यालय जापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज, जिनकी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को दिनांक 01.01.2004 से पूर्व अंतिम रूप दिया गया था, किन्तु जिन्होंने दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था।

अधोहस्ताक्षरी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 17.02.2020 और 31.03.2021 के समसंख्यक कार्यालय जापनों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्हें दिनांक 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। विकल्प का प्रयोग करने, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और संबंधित सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करने की प्रक्रिया में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीखें हैं।

2. यह संज्ञान में आया है कि दिनांक 17.02.2020 और 31.03.2021 के कार्यालय जापन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करने के बावजूद, कुछ कार्यालयों ने इन कार्यों के लिए निर्धारित समयसारिणी के अनुसार इन विकल्पों पर निर्णय नहीं लिया है। मामलों के समयबद्ध निपटान और कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों / विभागों के लिए कट-ऑफ तारीखें विहित की गई थी। कर्मचारी द्वारा नियत समय के भीतर दिए गए विकल्प पर, कार्रवाई न करने के कारण के रूप में इन कट-ऑफ तारीखों को नहीं लिया जा सकता है।

3. अतः सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय में सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिये गए विकल्प पर, इस विभाग के दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय जापन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और मामले में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक चूक होने की दशा में उत्तरदायित्व भी तय कर सकते हैं।

सिद्धेश्वर

(एस. चक्रवर्ती )

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग।
2. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. सी & ए जी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
5. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु।